Shodh Sangam Patrika
E-ISSN: 3049-0707, Volume 3 | Issue 2 | (April - June 2026)

भारत में महिला आरक्षण और राजनीतिक सहभागिता का बदलता स्वरूप: एक आलोचनात्मक मूल्यांकन

डॉ. अमित कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, हिन्दू पी. जी. कॉलेज जमानिया, गाजीपुर (उ0 प्र0)

सारांश

महिला और पुरुष दोनों एक-दूसरे की संपूरकता के पर्याय हैं और दोनों का जीवन सहजीविता का जीवंत प्रमाण भी है, लेकिन पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के कारण भारतीय महिलाएँ विकास की मुख्य धारा में शामिल होने से वंचित रह गई। पुनर्जागरण के पश्चात सामाजिक सुधार, आजादी के बाद संवैधानिक उपबंध एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं की शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लेकिन भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात में अभी भी काफी नगण्य है। 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 46% के करीब पहुँच चुकी है लेकिन संसद और विधानमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी काफी कम है। संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व मात्र 13.6% है, तो राज्य सभा में 12.6% है। 1 भारत सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से लोकसभा एवं राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की विधानसभा में एक-तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, लेकिन अभी यह लागू नहीं हो सका है। महिला आरक्षण के समक्ष उपवर्गीकरण एवं परिसीमन की समस्या बनी हुई है। उम्मीद है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय की स्थापना होगी। भारतीय लोकतंत्र ज्यादा समावेशी और समतामूलक होगा। महिलाओं को उनका प्रतिनिधित्व और वांछित हक की प्राप्ति होगी एवं निर्णय-निर्माण में महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी और भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होगा।

प्रमुख शब्द: पितृसत्तात्मक समाज, लैंगिक समानता, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय, स्थानीय स्वशासन, नीति निर्माण, निर्णय-निर्माण, सकारात्मक कार्यवाही, प्रधान पति, लोक-कल्याणकारी राज्य।

प्रस्तावना –

लैंगिक रूप से महिलाएँ पुरुष से किसी भी रूप में कम नहीं है। दोनों का जीवन सहजीविता और अन्योन्याश्रयता का पर्याय है। लेकिन इतिहास गवाह है कि पुरुषों ने महिलाओं का सबसे अधिक शोषण सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर ही किया है। प्रसिद्ध नारीवादी विचारक साइमन द बुआ ने अपनी पुस्तक -The Second Sex (1949) में मानव की सामाजिक, ऐतिहासिक अध्ययन से यह साबित किया है कि महिलाओं के शोषण का प्रमुख आधार सेक्स यानी लिंग नहीं, बल्कि जेंडर है। सर्वविदित है कि सेक्स एक जैविक संकल्पना है, वहीं जेंडर एक सांस्कृतिक संकल्पना।

हड़प्पा काल और वैदिक काल को छोड़कर भारतीय इतिहास का लंबा कालखंड पितृसत्तात्मक समाज की गिरफ्त में रहा है। प्राचीन काल में देवदासी प्रथा, सती प्रथा के साथ-साथ मध्यकाल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा जैसी कुप्रथाओं के कारण महिलाओं की स्थिति लंबे समय तक दयनीय बनी रही। पुनर्जागरण के पश्चात सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार होने लगा। देश की आजादी और संविधान निर्माण

के पश्चात महिलाओं को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अवसर मिलना शुरू हुआ। भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होने लगे जैसे छठी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया। महिलाओं के अधिकार और अस्मिता सुरक्षा के लिए संसद द्वारा कई अधिनियम पारित हुए जैसे - अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, दहेज उन्मूलन एवं प्रतिषेध अधिनियम 1961, समान कार्य, समान वेतन 1976 आदि। आजादी के पश्चात महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार तो हुआ, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका में महिलाओं की सहभागिता और प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात में काफी नगण्य रहा। 73 वॉ एवं 74 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में लागू हुआ। इसके तहत महिलाओं को स्थानीय निकायों में एक-तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया। यहीं से भारतीय लोकतंत्र में महिला आरक्षण अपने अस्तित्व में आया। फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता में काफी सकारात्मक सुधार हुआ है।

लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय संबंधी संवैधानिक उपबंध -

- अनु० 15(1) राज्य, किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव / विभेद नहीं करेगा।
- अनु० 15(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों एवं बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
- अनु० 16(1) लोक नियोजन के विषय में राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति में सभी नागरिकों की अवसर को समता होगी।
- अनु० 16(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव – जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।
- अनु० 16(3) कुछ विशेष पदों / नियुक्तियों के लिए निवास संबंधी आवश्यक शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जा सकती है।
- अनु 39(क) राज्य अपनी नीति का विशेषतः इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का सुनिश्चित अधिकार हो।
- अनु० 39(घ) पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा।
- अनु० 39(ड) राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि पुरुष और महिला कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े, जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो।
- अनु० 42 काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए राज्य विशेष उपबंध करेगा।

- अनु० 243(D,3) ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीट आरक्षित करने का उपबंध।
- अनु० 243(D,4) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्ष का पदों के लिए एक-तिहाई सीट महिलाओं को आरक्षित करने का उपबंध।
- अनु० 245(T,3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले सभी सीट का एक-तिहाई एससी और एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित करने का उपबंध।
- अनु 245(T,4) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के कुल सीट का एक-तिहाई एससी, एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षित करने का उपबंध।
- अनु० 330(A) लोकसभा एवं विधानसभा को कुल सीट का एक - तिहाई (लगभग 33%) सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का उपबंध।
- अनु० 332(A) प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एक-तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान।
- अनु० 339(AA) राष्ट्रीय राजधानी में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का उपबंध।
- अनु० 334(A) महिला आरक्षण की अवधि 15 वर्ष के लिए।

नोट: - महिला आरक्षण में एससी और एसटी महिलाओं का भी आरक्षण शामिल है और भविष्य में जरूरत महसूस होने पर संसद आरक्षण की अवधि को बढ़ा भी सकती है।

भारत में महिला आरक्षण का संक्षिप्त इतिहास

आजादी के बाद तमाम संवैधानिक उपबंध और लोक कल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिससे महिलाओं की शैक्षिकए आर्थिक और सामाजिक स्थिति में काफी सार्थक परिवर्तन हुआ है, लेकिन महिलाओं की राजनीतिक सत्ता में सहभागिता उनकी आबादी के तुलना में अभी भी आनुपातिक रूप से काफी कम है। हालांकि वर्ष 1993 में संसद के द्वारा स्थानीय स्वशासन को 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिकता प्रदान करते हुए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में पहली बार महिला आरक्षण लागू किया गया।

अनु०243(D,3) और अनु०243(D,4) के तहत ग्राम पंचायत में क्रमशः एससी एवं एसटी महिलाओं तथा महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करने का उपबंध किया गया। इसी प्रकार अनु० 243(T3) एवं अनु० 243 (T4) के तहत नगरपालिका में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया गया।

बिहार देश का पहला राज्य था, जिसने वर्ष 2006 में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण की सीमा को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया, जिसका अनुकरण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी किया।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 -

लोकसभा राज्य विधानसभाओ (दिल्ली की विधानसभा भी शामिल) में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला आरक्षण बिल को 19 सितम्बर 2023 की लोकसभा में 128 वें संशोधन बिल के रूप में पेश किया गया, जिसे 20 सितम्बर 2023 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया तथा 21 सितम्बर 2023 को संसद की उच्च सदन राज्यसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया। 28 सितंबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 128 वें संविधान संशोधन विधेयक को औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दिया गया जिससे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 अस्तित्व में आया।

आज भारत में 21 राज्यों एवं 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% सीट आरक्षित है। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) 30 जुलाई 2025 के अनुसार पूरे देश के पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी लगभग 40% के करीब है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक कदम भी है। वर्ष 1993 से पहले पंचायती राज संस्थाओं में केवल 5% महिला प्रतिनिधि चुनकर आती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1993 से 2025 तक पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी में 40.5% की वृद्धि हुई है। इसका लाभ राजनीतिक निर्णय-निर्माण और लैंगिक सशक्तिकरण में आसानी से देखा जा सकता है लेकिन प्रधान पति (प्रॉक्सी कैंडिडेट) एवं छद्म उम्मीदवार की संकल्पनाएँ पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण के समक्ष एक प्रबल समस्या के रूप में विद्यमान है।

पेसा अधिनियम 1996 के लागू होने से आदिवासी महिलाओं की नेतृत्व क्षमता में काफी सकारात्मक सुधार देखा जा रहा है। इससे पारंपरिक पुरुष वर्चस्व को चुनौती मिली है लैंगिक न्याय एवं समानता का प्रतीक है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के प्रावधान -

- अनुच्छेद 330(A) लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाने वाली कुल सीट का एक-तिहाई (33.33%) सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का उपबंध (इसमें एससी एवं एसटी महिलाओं का 113 आरक्षण) भी शामिल है।
- अनु० 332(A) प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एक-तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का उपबंध महिला आरक्षण में एससी एवं एसटी महिलाओं का आरक्षण भी शामिल है
- अनु० 934(A) महिला आरक्षण की अवधि 15 वर्ष। भविष्य में जरूरत महसूस होने पर संसद को आरक्षण अवधि में विस्तार का अधिकार होगा।
- अनु० 339(AA) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीट आरक्षित करने का उपबंध।

वर्ष 2027 की भारतीय जनगणना और परिसीमन के आधार पर इसे लागू किया जाएगा। प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का चक्रण (रोटेशन)। संसदीय कानून द्वारा किया जाएगा।

साहित्य समीक्षा - लेखक धर्मा कुमार की पुस्तक - द एफरमेटिव एक्शन: डिबेट इन इंडिया (1992) में आरक्षण का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष प्रस्तुत किया गया है।

लेखक नीरा देसल और विभूति पटेल की अपनी पुस्तक - इंडियन women: change and challenge में महिला आरक्षण के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण एवं व्यवहारिक समाधान, गहनता से प्रस्तुत किया गया है।

वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 (विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित) में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक सहभागिता एवं आर्थिक सशक्तिकरण और अवसर के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता एवं प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है।

शोध की प्रविधिः -

इस शोध पत्र में विश्लेषणात्मक एवं मूल्यांकनपरक शोध प्रविधि के तहत महिला आरक्षण का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया गया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक एवं सूचकांक के आधार पर महिला आरक्षण का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है इसमें प्राथमिक एवं द्वित्तीयक स्रोत से आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण किया गया है। द्वित्तीयक स्रोत के रूप में पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाओं का उपयोग किया गया है।

शोध का उद्देश्य –

1. भारतीय लोकतंत्र में महिला आरक्षण को वर्तमान स्थिति का पता लगाना है।
2. महिला आरक्षण से भारत में लैंगिक समानता और न्याय की स्थिति में कितना सार्थक सुधार हुआ है, का विश्लेषण करना है।
3. महिला आरक्षण के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का व्यवहारिक हल तलाशना है।

विश्लेषण और परिणाम

सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण -

राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण का भले ही कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है, लेकिन राज्य स्तर पर महिला आरक्षण क्षैतिज रूप में लागू है- जैसे बिहार में 35 प्रतिशत, गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखंड, ओडिशा, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना में 33 प्रतिशत वहीं तमिलनाडु महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में 30% उत्तर प्रदेश में 20% लेकिन उत्तर प्रदेश महिला पुलिस में 30% का आरक्षण। इस प्रावधान से लोक नियोजन में महिलाओं को सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व तो बढ़ रहा है, लेकिन महिला आबादी के अनुपात में अभी भी काफी कम है। शिक्षा संबंधी नौकरियों से तुलनात्मक रूप से महिला प्रतिनिधित्व संतोषजनक है। स्टाफ नर्स (ANM / GNM) में महिला आरक्षण 90% है। वैसे तो सेना में कोई आरक्षण का उपबंध नहीं है लेकिन भारतीय सेना में महिलाएँ शार्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) एवं स्थायी कमीशन सीपीसी में अधिकारी बन सकती हैं।

विधायिका और कार्यपालिका में महिला सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति -

संवैधानिक रूप से केवल विधायिका (लोकसभा एवं विधानसभा) में ही महिला आरक्षण उपबंध भारतीय सरकार द्वारा वर्ष 2023 में किया गया, लेकिन 2027 के पहले लागू होने के कोई संभाव्यता नहीं है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली के तहत विधायिका एवं कार्यपालिका के सदस्य एक दूसरे पूरक होते हैं। जहाँ विधायिका विधि-निर्माण कार्य करती है, वहीं कार्यपालिका, विधायिका द्वारा निर्मित कानून, नियम एवं उपनियम को लागू करने का कार्य करती है। निर्णय-निर्माण की क्षमता मुख्यतः कार्यपालिका के हाथों में है, लेकिन मंत्रिपरिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बस

E-ISSN: 3049-0707, Volume 3 | Issue 2 | (April - June 2026)

प्रतीकात्मक है। इसी प्रकार की स्थिति विधायिका और न्यायपालिका में भी है। अंतरराष्ट्रीय संसदीय संघ (इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन) की रिपोर्ट 2023 के अनुसार. विश्व के एकल या निम्न सदन में महिलाओं का कुल प्रतिनिधित्व मान 26.5% प्रतिशत है, जबकि भारतीय संसद के निम्न सदन में महिलाओं की सहभागिता 15.2% प्रतिशत है, वहीं उच्च सदन में महिलाओं की सहभागिता 13.8% प्रतिशत है। वर्ष 2024 में महिलाओं की राज्यसभा में सहभागिता घटकर 19.6% प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार वर्ष 2024 में महिलाओं की भागीदारी वर्ष 2019 से घटकर 13.6% प्रतिशत हो गई है।

भारतीय संसद में महिलाओं की सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व प्रथम सदन में महिलाओं का वर्षवार प्रतिनिधित्व।

आम चुनाव वर्ष	कुल निर्वाचित महिला सांसद	महिला प्रतिनिधित्व (% में)
1952	22	5
1957	22	5
1962	31	7
1967	29	5.8
1971	28	5.7
1977	19	4
1980	28	5.7
1984	43	8
1989	29	5.8
1991	39	7
1996	40	7.2
1998	43	8
1999	49	9
2004	45	8.2
2008	59	11.3
2014	66	12
2019	78	14.4
2024	74	13.6

स्रोत - केन्द्रीय चुनाव आयोग नई दिल्ली

संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्वः

वर्ष	कुल सदस्य	महिला सदस्य	महिला प्रतिनिधित्व (% में)
1952	219	15	6.9
1957	237	18	7.59
1962	238	18	7.56
1967	240	20	8.33
1971	243	17	7
1977	244	25	10.25
1980	244	24	9.84
1985	245	28	11.43
1990	245	24	9.8
1994	245	20	8.16
1996	245	18	7.36
1998	245	19	7.36
2000	245	25	10.20
2004	245	28	11.43
2006	245	25	10.20
2010	245	27	11
2012	245	24	9.8
2014	245	31	12.7
2016	245	27	11
2020	245	25	10.2

2020	245	33	13.8
2024	245	31	12.6

स्रोत - केन्द्रीय चुनाव आयोग नई दिल्ली

राज्य विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व-

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	विधानसभा चुनाव वर्ष	महिला प्रतिनिधित्व (% में)
आंध्रप्रदेश	2019	8
अरुणाचल प्रदेश	2019	5
असम	2021	4.76
बिहार	2020-2025	10.76
छत्तीसगढ़	2018-2023	14.44
गुजरात	2017-2022	7.14
गोवा	2022	7.5
हरियाणा	2019-2024	10
हिमाचल प्रदेश	2017-2021	5.88
जम्मू और कश्मीर	2014	2.3
झारखंड	2019-2024	12.3
कर्नाटक	2018-2023	3.14
केरल	2021	7.86
मध्यप्रदेश	2018-2023	9.13
महाराष्ट्र	2019-2024	8.33
मणिपुर	2022	8.33
मेघालय	2018-2023	5.08
मिजोरम	2018	0
नागालैंड	2018	0

E-ISSN: 3049-0707, Volume 3 | Issue 2 | (April - June 2026)

ओडिशा	2019-2024	9.38
तमिलनाडु	2021-2026	5.13
तेलंगाना	2018-2023	5.04
त्रिपुरा	2018-2023	5
उत्तराखंड	2022	11.43
उत्तरप्रदेश	2022	11.66
पश्चिम बंगाल	2018-2023	13.70
एनसीआर दिल्ली	2020-2025	11.43
पंजाब	2022	11.11
राजस्थान	2018-2023	12
पुदुचेरी	2021	3.33

स्रोत - विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार 2022।

राज्य विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व का तुलनात्मक अध्ययन करें तो सबसे अधिक महिला प्रतिनिधित्व वाले राज्य - छत्तीसगढ़ (14.44%), पश्चिम बंगाल (13.70%), झारखंड (12.3%), राजस्थान (12%), उत्तर प्रदेश (11.66%), उत्तराखंड (11.43%), पंजाब (11.11%), बिहार (10.76%) है। वहीं सबसे कम महिला प्रतिनिधित्व वाले में जम्मू-कश्मीर (2.3%), कर्नाटक (3.14%), त्रिपुरा (5%), तेलंगाना (5.04%), तमिलनाडु (5.13%), हिमाचल प्रदेश (5.88%),

स्थानीय स्वशासन में महिला आरक्षण की राज्यवार स्थिति: -.

राज्य	महिला आरक्षण (% में)	महिला प्रतिनिधित्व (% में)
बिहार	50	55
असम प्रदेश	50	50
छत्तीसगढ़	50	54.78
गुजरात	50	49.99
हरियाणा	50	42.12
हिमाचल प्रदेश	50	50.13
झारखंड	50	50.6

कर्नाटक	50	48.48
केरल	50	52.42
महाराष्ट्र	50	50.6
ओडिशा	50	49.82
राजस्थान	50	56.49
सिक्किम	50	50
तमिलनाडु	50	34
आंध्र प्रदेश	50	50
त्रिपुरा/तेलंगाना	50	क्रमशः 45.23 और 50
मणिपुर	50	50.38
उत्तराखंड	50	54
पश्चिम बंगाल	50	50.77
शेष अन्य राज्य	33	50
पुदुचेरी	50	50
दमन-दीव	50	50
दादर नगर हवेली	50	50

महिला प्रतिनिधित्व (अन्य राज्यों के स्थानीय स्वशासन में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	महिला प्रतिनिधित्व (% में)
उ0प्र0	33
मणिपुर	50.35
मिजोरम	23.64
जम्मू-कश्मीर	33
दादर एवं नागर हवेली	34.56

दमन-दीव	53.49
गोवा	32.99
चंडीगढ़	34.38
लक्षद्वीप	32.27
अंडमान एवं निकोबार	35.2
अरुणाचल प्रदेश	38.99
पंजाब	33.33

स्रोत - Gram Panchayat https://grammanchitra.gov.in/gm4MVC

न्यायपालिका में महिलाओं की सहभागिता एवं वर्तमान स्थिति

भारत में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का उपबंध है। सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय (जिला एवं तहसील स्तर पर), उसके उपर उच्च न्यायालय (राज्य स्तर पर) और सबसे उपर सर्वोच्च न्यायालय है। इस त्रिस्तरीय पिरामीडनुमा संरचना में भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण एवं निष्पक्ष न्याय के लिए प्रतिबद्ध है।

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में महिला आरक्षण का कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है, केवल अधीनस्थ न्यायालयों में ही महिला आरक्षण का प्रावधान है। असम, आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे अनेक राज्यों में निचली न्यायपालिका में महिला आरक्षण प्रदान किया है। हालांकि सभी राज्यों के निचली अदालतों में महिलाओं के लिए एक समान आरक्षण का लागू नहीं हो पाया है। निचली अदालतों में प्रांतीय न्यायिक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम आरक्षण को लागू किया गया है। केरल, मिजोरम, गोवा और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में निचली अदालतों में महिला आरक्षण लागू नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्षैतिज आरक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।

राज्य	**अधीनस्थ न्यायालय में महिला आरक्षण (% में)**
बिहार	35
आंध्रप्रदेश	33.33
असम	30
छत्तीसगढ़	30
झारखंड	33
कर्नाटक	33
ओडिशा	33

राजस्थान	30.33
तमिलनाडु	30
तेलंगाना	33
उत्तराखंड	30
उत्तर प्रदेश	20

अधीनस्थ न्यायालयों में महिला सहभागिता, सबसे अधिक तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक एवं बिहार जैसे राज्यों में है। उदाहरणस्वरूप तेलंगाना में लगभग 60% आंध्रप्रदेश में 55%, ओडिशा में 50% कर्नाटक में 45% और बिहार में 40%।

- ❖ औसतन अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 36% के करीब महिला जज कार्यरत है।
- ❖ सर्वोच्च न्यायालय में 1950 से अब तक केवल 11 महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई है। लेकिन आज तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश (CJI) नहीं बन पाई है।
- ❖ उच्च न्यायालयों में लगभग 14.8% महिला जज है।
- ❖ कानून एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार 2026 में उच्च - न्यायालयों में 116 महिला जज थी, जबकि कुल जजों की संख्या 781 था।
- ❖ कुल 1.7 मिलियन पंजीकृत वकीलों में केवल 15% महिलाएँ है।

महिला आरक्षण की उपलब्धियाँ -

महिला आरक्षण का सबसे अधिक सकारात्मक असर पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के सहभागिता एक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में हुआ है। प्रेस सूचना ब्यूरो; पीआईबीद्ध के अनुसार 30 जुलाई 2025 तक पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी लगभग 46% के करीब है। वर्ष 1993 से पहले पंचायती राज संस्थाओं में केवल 4.5% महिला प्रतिनिधि चुनकर आती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1993 से 2025 तक पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी में 40.5% की आशातीत वृद्धि हुई है। आज देश में लगभग 5 लाख के करीब स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं।

सरकारी नौकरियों में राज्य स्तरीय महिला क्षैतिज आरक्षण का प्रभाव अब दिखने लगा है, जैसे- प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में महिला शिक्षिकों की सहभागिता में संतोषजनक वृद्धि हुई है।

नीति निर्माण, निर्णय-निर्माण और नेतृत्व कौशल का विकास महिला प्रतिनिधियों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं में प्रधान पति की व्यवहारिक समस्या विद्यमान है। महिला आरक्षण से जमीनी लोकतंत्र को मजबूती प्राप्त हुई है। विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं में SC, ST एवं OBC महिलाओं की प्रतिनिधित्व में काफी सुधार हुआ है।

महिला आरक्षण के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ.

- **पितृसत्तात्मक समाज का दुष्प्रभाव -**

महिला आरक्षण के समक्ष सामाजिक चुनौती के रूप में पितृसत्तात्मक संरचना आज भी विद्यमान है। भले ही महिलाएँ चौखट से चौपाल तक पहुँच रही है, लेकिन उनका राह इतना आसान नहीं है। आज भी शक्ति, संपत्ति और निर्णय-निर्माण में पुरुषों का ही वर्चस्व बना हुआ है। इससे महिला आरक्षण को व्यवहारिक रूप में नुकसान होता है जैसे प्रधान पति (प्रॉक्सी कैंडिडेट) की संकल्पना।

- **महिला आरक्षण को संसद एवं विधानसभा में लागू करने में राजनीतिक दलों में सर्व-सहमति का अभाव -**

सितम्बर 2023 में महिला आरक्षण संबंधी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को संसद से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अप्रैल 2026 तक यह अधिनियम लागू नहीं हो सका है। सत्ता पक्ष 2011 के जनगणना के आधार पर परिसीमन कराकर लागू कराना चाहता है, जबकि विपक्ष 2026 के जनगणना के आधार लागू कराना चाहता है, जैसा नारी शक्ति अधिनियम में वर्णित है

विपक्ष महिला आरक्षण में ओबीसी एवं अल्पसंख्यक महिलाओं का भी उपकोटा सुनिश्चित कराना चाहता है। इसी कारण से अप्रैल 2026 में महिला आरक्षण परिसीमन संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका है।

- **राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र एवं लैंगिक समावेशिता का अभाव -**

सामान्यतः महिला उम्मीदवारों के पास चुनावी संसाधन एवं वित्तीय स्वतंत्रता का अभाव होता है। आम महिला जो वित्तीय रूप से और सामाजिक रूप से कम प्रभावी है, उनके लिए विशिष्ट महिला की तुलना में चुनाव लड़ना और जीतना काफी कठिन हो जाता है। महिला आरक्षण का उप-वर्गीकरण और परिसीमन की चुनौती अभी भी विद्यमान है।

विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में 245 अंकों के साथ विश्व के 148 देशों में 69 वे रैंक हासिल है, जबकि समग्र सूचकांक में भारत 131 वे स्थान पर स्थित है।

निष्कर्ष और सुझाव -

पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियो की हिस्सेदारी 46% के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन प्रधान पति की संकल्पना, व्यवहारिक रूप में महिला निर्णय-निर्माण के समक्ष प्रमुख चुनौती बनी हुई हैं। जरूरत है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की शक्ति और अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए, ताकि इनका दुरुपयोग न हो सका। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023) से लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण सुनिश्चित हुआ है। इसकी व्यवहारिक कमियों को दूर करते हुए इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। महिला आरक्षण का उप-वर्गीकरण और सीटों का परिसीमन ससमय पूरा करना चाहिए, ताकि भारतीय लोकतंत्र को समावेशी और मजबूत बनाया जा सके। केवल लोकसभा और विधानसभा में नहीं, बल्कि आरक्षण का विस्तार राज्यसभा और राज्य विधानपरिषद में भी होना चाहिए। इसके अलावा मंत्रिपरिषद में भी महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित होना चाहिए। अखिल भारतीय सिविल सेवा में महिलाओं के लिए कम से कम 50% क्षैतिज आरक्षण लागू होना चाहिए। अभी तक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा में महिलाओं की सफलता की दर 31.21%, (2025 में) तक ही पहुंच पाया है।

संदर्भ

1. भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय। (2023). संविधान (एक सौ छठवाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 / नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नई दिल्ली: भारत सरकार।
2. भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय। (2024). भारत का संविधान। नई दिल्ली: विधायी विभाग, भारत सरकार।
3. भारत निर्वाचन आयोग। (2024). लोकसभा सामान्य निर्वाचन, 2024: सांख्यिकीय प्रतिवेदन। नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग।
4. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। (n.d.). ग्राम मानचित्र: पंचायतों के लिए भू-स्थानिक निर्णय सहायता प्रणाली। Retrieved from https://grammanchitra.gov.in/gm4MVC
5. विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार। (2022). राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व संबंधी विवरण। नई दिल्ली: भारत सरकार।
6. Kumar, Dharma. (1992). "The Affirmative Action Debate in India." Asian Survey, 32(3), 290–302.
7. Bakshi, P. M. (2013). The Constitution of India. 12th ed. New Delhi: Universal Law Publishing, pp. 19–103.
8. UNDP. (2009). From Reservation to Participation: Capacity Building of Elected Women Representatives and Functionaries of Panchayati Raj Institutions. New Delhi: UNDP, pp. 33–60.
9. Parashar, Archana. (1992). Women and Family Law Reform in India: Uniform Civil Code and Gender Equality. New Delhi: Sage Publications, pp. 20–80.
10. Desai, Neera, and Patel, Vibhuti. (1985). Indian Women: Change and Challenge. Mumbai: Popular Prakashan, pp. 46–48.
11. Singh, S. K., and Puri, S. K. (2019). "Women in Panchayat Raj Institution: A Study of Uttar Pradesh." Journal of Political Science and Public Affairs, 7(4), 463.
12. World Economic Forum. (2025). Global Gender Gap Report 2025. Geneva: World Economic Forum.